प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **19-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1- लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना मूढ़ापाण्डे:-

अवगत करना है कि दिनांक 15-06-2025 को वादी निवासी थाना मूढ़ापाण्डें क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में थाना मूढ़ापाण्डें पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 243/2025 धारा- 87 बीएनएस बनाम सतीश आदि के पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना मूढ़ापाण्डें पुलिस द्वारा अपर्हता को सकुशल बरामद किया गया तथा आज दिनांक 19.06.2025 को अभियुक्त सतीश पुत्र दयाचंद उर्फ डालचन्द निवासी ग्राम गणेश घाट थाना मूढांपाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। पीडिता के बयानो व साक्ष्यो के आधार पर आरोपी द्वारा धमकी देने व दुष्कर्म किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये। साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 64/351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 243/2025 धारा- 87/64/351(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त:-

सतीश पुत्र दयाचंद उर्फ डालचन्द निवासी ग्राम गणेश घाट थाना मूढांपाण्डे जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1- व0उ0नि0 सर्वेश कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
2- उ0नि0 जयपाल सिंह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
3- हे0का0 राहुल मलिक थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

2-नाबालिगों के साथ कुकर्म, मारपीट करने व धमकी देने के आरोपी को थाना मूढ़ापाण्डें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.06.2025 को वादी अय्यूब पुत्र जुम्मा निवासी ग्राम सलेमपुर थाना ऐचौडा कम्बोह जनपद सम्भल ने आरोपी द्वारा वादी के नाबालिग पुत्रो के साथ कुकर्म, मारपीट करने व धमकी देने के संबंध में थाना मूढ़ापाण्डें पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढ़ापाण्डें पर मु0अ0सं0- 244//2025 धारा- 115(2)/351(2) बीएनएस व 5M/6 पोक्सो एक्ट बनाम कारी जुल्फेकार के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.06.2025 को थाना मूढ़ापाण्डें पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त कारी जुल्फेकार पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम हसनपुर थाना हयातनगर जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक करार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 244//2025 धारा- 115(2)/351(2) बीएनएस व 5M/6 पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

कारी जुल्फेकार पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम हसनपुर थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-व0उ0नि0 दीपक चौहान थाना मूढापाण्डें जनपद मुरादाबाद
2-कां0 संजीत मलिक थाना मूढापाण्डें जनपद मुरादाबाद।

3- अतिरिक्त दहेज की मांग कर मानसिक/शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, जिससे विवश होकर युवती द्वारा आत्महत्या कर लेने के अभियोग में वांछित आरोपी को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गयाः-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2025 को वादिनी निवासनी थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपीगण वादिनी की पुत्री के पति व उसके परिजनो द्वारा वादिनी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग कर मानसिक/शारिरिक रूप से प्रताड़ित करने, जिससे विवश होकर वादिनी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के संबंध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 205/2025 धारा- 85/115(2)/352/ 351(3)/80(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम साहिल उर्फ जनैद आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.06.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त साहिल उर्फ जनैद पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला सुन्दरनगर पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व दिनांक 31.05.2025 को नामित अभियुक्त शाहिद पुत्र लियाकत नि0 उपरोक्त को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 205/2025 धारा- 85/115(2)/352/ 351(3)/80(2) बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्तः-

साहिल उर्फ जनैद पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला सुन्दरनगर पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 शराफत हुसैन थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
2-का0 सतेन्द्र साहू थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
3-का0 गौरव कुमार थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

4- ट्रक पर युवक को अपने साथ ले जाकर अधिक मात्रा में नशीला पदार्थ खिलाने, जिससे युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त को थाना मैनाठेर द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.04.2025 को वादिनी निवासनी थाना नागफनी क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपीगण द्वारा वादिनी के पुत्र को ट्रक पर अपने साथ ले जाकर अधिक मात्रा में नशीला पदार्थ खिलाने, जिससे वादिनी के पुत्र की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-79/2025 धारा-123/109 बी.एन.एस. बनाम रईस आलम आदि के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.06.2025 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रईस आलम पुत्र अमीर आलम निवासी ग्राम ताहरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया । इससे पूर्व दिनांक 15.05.2025 को अभियुक्त शाने आलम उर्फ शानू पुत्र रईस आलम को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है । उक्त अभियोग में साक्ष्यो के आधार पर धारा-109 बीएनएस का विलोपन करते हुये धारा-105 बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियोगः-

मु0अ0सं0-79/2025 धारा- 123/105 बी.एन.एस.

गिरफ्तार अभियुक्तः-

रईस आलम पुत्र अमीर आलम निवासी ग्राम ताहरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 आशीष कुमार थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद
2-का0 मनीष भाटी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

5- घर में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने व धमकी देने के आरोपी को थाना कटघर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.06.2025 को वादिनी निवासनी थाना कटघर ने आरोपी द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड़ करने व धमकी देने के संबंध में थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 332/2025 धारा- 331(4)/74/351(3) बीएनएस- 2023 बनाम बसन्त के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.06.2025 को थाना कटघर पुलिस द्वारा मुकदमा उक्त में वांछित अभियुक्त बसन्त पुत्र जगदीश निवासी पंडित नगला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। पीडिता के बयानो में आरोपी द्वारा दुष्कर्म किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये। साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-74 बीएनएस का विलोपन करते हुये धारा-64(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियोगः-

मु0अ0सं0- 332/2025 धारा- 331(4)/64(1)/351(3) बीएनएस- 2023

गिरफ्तार अभियुक्तः-

अभियुक्त बसन्त पुत्र जगदीश निवासी पंडित नगला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1- उ0नि0 श्री दीपक पवांर मय हमराही पुलिस बल
थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

6- थाना डिलारी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी व अवैध शस्त्र धारको, अपराधो में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.06.2025 को थाना डिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र वीर सिहँ निवासी ग्राम रहटमाफी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध 01 तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इस संबंध में थाना डिलारी पर अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र वीर सिहँ उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-135/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-135/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

सचिन कुमार पुत्र वीर सिहँ निवासी ग्राम रहटमाफी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

अवैध 01 तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1- उ0नि0 मनीष कुमार सिरोही थाना डिलारी मुरादाबाद
2- है0कां0 प्रवीण कुमार थाना डिलारी मुरादाबाद
3- कां0 विनित कुमार थाना डिलारी मुरादाबाद ।

7- लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार थाना नागफनीः-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.05.2025 को वादिनी निवासनी थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ने आरोपी द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में थाना नागफनी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 94/25 धारा- 137(2) बीएनएस बनाम चन्दा उर्फ अमन के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना नागफनी पुलिस द्वारा अपर्हता को सकुशल बरामद किया गया। तथा दिनांक 18.06.2025 की रात्रि मे मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त चन्दा उर्फ अमन पुत्र बब्बू निवासी चाहवाई थाना प्रेमनगर जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 94/25 धारा- 137(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्तः-

चन्दा उर्फ अमन पुत्र बब्बू निवासी चाहवाई थाना प्रेमनगर जनपद बरेली

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1- उ0नि0 मुलायम सिंह थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद
2- कां0 भानू प्रताप थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद
3- कां0 प्रमोद कुमार सम्राट थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।

8- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 29 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय **पुलिस द्वारा 29 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना गलशहीद-03, थाना कटघर-04, थाना मझोला-05, थाना पाकबड़ा-03, थाना मूढ़ापाण्डें-02, थाना छजलैट-02, थाना सोनकपुर-02, थाना ठाकुरद्वारा-02, थाना भगतपुर- 01, थाना बिलारी- 05।